

न्यायालय, समाहर्ता, सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आदेश-पत्रक

दि. 10/17/18

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

पत्रक-ता०.....से.....सन्.....
खगड़िया.....सा०.....

प्रकार:- बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने में।

क्र. क्रम तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-संज्ञित 3.
--------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

2017

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3458/सी०आर० दिनांक 02.07.2017 द्वारा खगड़िया थाना काण्ड संख्या-211/2017 दिनांक 03.04.2017 धारा-30(ए०) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 के अंतर्गत जप्त किये गये प्रत्येक 375 एम०एल० का विदेशी शराब-31(एकतीस) बोतल, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेशानुसार नमूने की जाँच हेतु 02 (दो) बोतल विदेशी शराब रसायन परीक्षक बिहार पटना को भेजा गया है। शेष 29 (उनतीस) बोतल कुल-10.875 लीटर विदेशी शराब मालखाना में सुरक्षित रखा गया है। विदेशी शराब कुल-10.875 लीटर सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ जप्ती सूची, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया का पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं प्रतिवेदन-02 संलग्न है।

अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि खगड़िया थाना काण्ड संख्या-211/2017 जप्त विदेशी शराब कुल-10.875 (दस लीटर सात सौ पचहत्तर एम०एल०) लीटर को अपने देख रेख में विनष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेंगे।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।
लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता, खगड़िया।



समाहर्ता, खगड़िया।

Handwritten notes and signatures:
 1. 10/17/18
 2. 10/17/18
 3. 10/17/18
 4. 10/17/18
 5. 10/17/18
 6. 10/17/18
 7. 10/17/18
 8. 10/17/18
 9. 10/17/18
 10. 10/17/18
 11. 10/17/18
 12. 10/17/18
 13. 10/17/18
 14. 10/17/18
 15. 10/17/18
 16. 10/17/18
 17. 10/17/18
 18. 10/17/18
 19. 10/17/18
 20. 10/17/18
 21. 10/17/18
 22. 10/17/18
 23. 10/17/18
 24. 10/17/18
 25. 10/17/18
 26. 10/17/18
 27. 10/17/18
 28. 10/17/18
 29. 10/17/18
 30. 10/17/18
 31. 10/17/18
 32. 10/17/18
 33. 10/17/18
 34. 10/17/18
 35. 10/17/18
 36. 10/17/18
 37. 10/17/18
 38. 10/17/18
 39. 10/17/18
 40. 10/17/18
 41. 10/17/18
 42. 10/17/18
 43. 10/17/18
 44. 10/17/18
 45. 10/17/18
 46. 10/17/18
 47. 10/17/18
 48. 10/17/18
 49. 10/17/18
 50. 10/17/18
 51. 10/17/18
 52. 10/17/18
 53. 10/17/18
 54. 10/17/18
 55. 10/17/18
 56. 10/17/18
 57. 10/17/18
 58. 10/17/18
 59. 10/17/18
 60. 10/17/18
 61. 10/17/18
 62. 10/17/18
 63. 10/17/18
 64. 10/17/18
 65. 10/17/18
 66. 10/17/18
 67. 10/17/18
 68. 10/17/18
 69. 10/17/18
 70. 10/17/18
 71. 10/17/18
 72. 10/17/18
 73. 10/17/18
 74. 10/17/18
 75. 10/17/18
 76. 10/17/18
 77. 10/17/18
 78. 10/17/18
 79. 10/17/18
 80. 10/17/18
 81. 10/17/18
 82. 10/17/18
 83. 10/17/18
 84. 10/17/18
 85. 10/17/18
 86. 10/17/18
 87. 10/17/18
 88. 10/17/18
 89. 10/17/18
 90. 10/17/18
 91. 10/17/18
 92. 10/17/18